



# जयपुर 01-03-2022

**कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली**  
ए.एन.एम. प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु आयोजित होने वाली काउन्सलिंग की सूचना  
ए.एन.एम. प्रशिक्षण में अभ्यर्थियों के चयन हेतु दिनांक 04.03.2022 को प्रातः  
10 बजे जिला प्रशिक्षण केन्द्र, राजकीय बांगड़ चिकित्सालय परिसर, पाली पर काउन्सलिंग  
आयोजित की जायेगी, जिसमें कॉल किये पांच गुणा योग्य अभ्यर्थियों के कट-ऑफ अंकों का  
विवरण निम्नानुसार है:

UR : 92.400	OBC : 91.000	MBC : 88.200
EWS : 86.200	SC : 89.000	ST : 87.200
HOL : 39.538	AWW : 54.800	ASHAS : 64.200

उक्त प्राप्तांकों तक के समस्त योग्य अभ्यर्थी दिनांक 04.03.2022 को काउन्सलिंग में  
उपस्थित हो सकते हैं, जिन्हें डाक द्वारा भी सूचित किया गया है। कॉल किये गये अभ्यर्थियों की  
सूचि एवं अन्य सम्पूर्ण जानकारी पाली जिला प्रशासन की वेबसाईट [www.pali.rajasthan.gov.in](http://www.pali.rajasthan.gov.in)  
पर भी देखी जा सकती है।

DIPR/C/2840/2022

डॉ. आर.पी. मिर्धा,  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली

राजस्थान - सरकार

## कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा

क्रमांक/प्रशि०/म०स्वा०का०/2021-22/1094

दिनांक : 25-02-22

### प्रेस विज्ञप्ति

श्रीमान अतिरिक्त निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राजस्थान जयपुर के पत्रांक:- प्रशि०/म०स्वा०का०/2021-22/100 दिनांक 18.02.2022 के अनुसरण में जिला दौसा में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण पाठक्रम सत्र 2021-22 में प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थियों की काउन्सलिंग दिनांक 04.03.2022 को प्रातः 09.00 बजे कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, आर.टी.ओ. ऑफिस के पास, कलेक्ट्री चौराहा, दौसा में की जावेगी। अतः इस काउन्सलिंग में निम्न वर्गानुसार कट ऑफ मार्क्स रखने वाले आवेदनकर्ता समस्त मूल शैक्षणिक एवं अन्य संबंधित दस्तावेजो सहित निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होंगे।

### श्रेणीवार कट ऑफ मार्क्स का विवरण

श्रेणी	सामान्य (Unreserved)	आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EWS)	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	अति पिछड़ा वर्ग (MBC)	अनुसूचित जनजाति (ST)	अनुसूचित जाति (SC)	आंगनवाडी कार्यकर्ता	आशा सहयोगिनी	दिव्यांग (one leg)
कट ऑफ मार्क्स	93.00%	88.80%	90.60%	91.40%	90.20%	88.40%	49.54% (5 वर्ष का अनुभव अनिवार्य)	65.85% (आशा मोड्यूल 6 व 7 का चतुर्थ प्रशिक्षण एवं निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य)	49.38%

नोट :-

- वर्तमान में कोविड-19 महामारी को देखते हुये संबंधित अभ्यर्थी सोशियल डिस्टेंसिंग व मास्क की पूर्ण रूपेण से पालना किया जाना सुनिश्चित करें।
- काउन्सलिंग हेतु बुलावा पत्र अलग से रजिस्टर्ड डाक से भिजवा दिया गया।
- काउन्सलिंग हेतु किसी भी तरह का यात्रा भत्ता व्यय का भुगतान नहीं किया जावेगा। किन्ही कारणो से बुलावा पत्र नहीं मिलने की स्थिति में उक्त श्रेणीवार कट ऑफ मार्क्स रखने वाले अभ्यर्थी काउन्सलिंग हेतु नियत तिथि को उपस्थित होंगे।

(डॉ० सुभाष बिलोनिया)

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा

राजस्थान सरकार

## कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतनगढ़ (जिला-चूरु)

क्रमांक: संस्था/अराज/मस्वाका/प्रशिक्षण/2021-22/551 दिनांक: 26.02.2022

### -: प्रेस-विज्ञापित :-

श्रीमान् निदेशक (अराज) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के पत्रांक प्रशि./मस्वाका /2021-22/2022/99 दिनांक 17.02.2022 एवं संशोधन आदेश क्रमांक: 100 दिनांक 18.02.2022 के द्वारा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ष 2021-22 में इस कार्यालय के अधीन संचालित प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश हेतु प्रशिक्षणार्थियों की काउन्सलिंग इस कार्यालय में दिनांक 04.03.2022 को प्रातः 09.30 बजे की जावेगी। अतः महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों की पाँच गुणा मैरिट सूची समस्त वर्ग की निम्नानुसार है:-

वर्ग	कट-ऑफ प्रतिशत	जन्म दिनांक
सामान्य वर्ग (Gen.)	93.400	10.08.2004
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	92.400	23.11.2003
अनु. सुचित जाति (SC)	91.000	29.10.2003
अनु. सुचित जनजाति (ST)	86.000	15.07.2002
आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EWS)	89.400	20.08.2003
अति. पिछड़ा वर्ग (MBC)	88.000	26.04.2004
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (AWW)	54.000	10.11.1983
आशा सहयोगिनी	63.846	12.05.1992
विकलांग (एक पैर से)	68.400	14.12.2000
विभागीय कर्मचारी	आवेदन अप्राप्त	....
मिलेट्री / पैरामिलेट्री / पुलिस मृतकर्मों की विधवा	आवेदन अप्राप्त	.....

1. साक्षात्कार हेतु पत्र अलग से रजिस्टर्ड ड्रक द्वारा भेज दिया गया है। यदि साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र किन्ही कारणों से नहीं मिलने पर उक्त मैरिट रखने वाले अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु नियत तिथि को इस कार्यालय में उपस्थित होंगे। किसी भी तरह का यात्रा व्यय का भुगतान नहीं किया जावेगा।

2. अण्डरएजेज, ओवरएजेज, मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होने वाली एवं अपूर्ण आवेदन प्रपत्र वाले अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त किए गये हैं। निरस्त आवेदन पत्रों की सूची कार्यालय समय में इस कार्यालय में देखी जा सकती है।

3. साक्षात्कार हेतु अपने मूल दस्तावेजों/आवश्यक प्रमाण पत्रों यथा- शैक्षणिक, जन्म तिथि, राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (ओबीसी प्रमाण पत्र एक वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिये), विकलांगता प्रमाण पत्र (03 वर्ष से अधिक पुराना न हो), आशा सहयोगिनी के लिये आशा प्रशिक्षण मॉड्यूल 06 व 07 का चतुर्थ चरण तक प्रशिक्षण पूर्ण होने का प्रमाण इनके स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति सहित साक्षात्कार के दौरान प्रस्तुत करना होगा।

(डॉ. मनोज कुमार शर्मा)  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
रतनगढ़ (जिला चूरु)



जयपुर 23-02-2022

## कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर

क्रमांक : स्था/अराप/तृ./22/540

दिनांक : 21 फरवरी 2022

### काउन्सलिंग में उपस्थित होने की सूचना

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण हेतु सत्र 2021-22 के लिए काउन्सलिंग में निम्न वर्गानुसार कट ऑफ प्रतिशत योग्यता रखने वाले आवेदनकर्ता अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र, अंकतालिका सहित दिनांक 04.03.2022 को प्रातः 09.00 बजे महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र, उम्मेद अस्पताल परिसर, जोधपुर में उपस्थित हों।

GEN	OBC	MBC	EWS	SC	MILITARY WIDOW
92.400	91.600	89.800	85.000	89.000	
ST	AW	ASHA	WIDOW	PH	49.200
87.600	50.923	64.000	78.200	60.400	

आशा सहयोगिनी मोड्यूल 6 व 7 के चतुर्थ चरण तक का प्रशिक्षण प्राप्त करने का प्रमाण पत्र साथ लावें।

(डॉ. बलवन्त मण्डा)

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर



# जयपुर 23-02-2022

## कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर

क्रमांक: मुख्य/प्रशिक्षण/ म.स्वा.का./2022/632

दिनांक: 21.02.2022

### विज्ञप्ति

श्रीमान निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्थे राजस्थान जयपुर के पत्रांक प्रशि./ म.स्वा. कार्य./2021-22/2022/99 दिनांक 17.02.2022 एवं पत्रांक 100 दिनांक 18.02.2022 के अनुसरण में जिला अलवर में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण सत्र 2021-22 हेतु पत्र अभ्यर्थियों के लिये काउन्सलिंग दिनांक 04.03.2022 को प्रातः 10 बजे कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयन्ती मॉल के सामने, अशोक सर्किल, अलवर में होगी। अतः इस काउन्सलिंग में निम्न बानुसार प्राप्तक कटऑफ प्रतिशत योग्यता रखने वाले आवेदनकर्ता अपने सम्बन्धित मूल दस्तावेज प्रमाण पत्र, अंकतालिका बोर्ड सर्टिफिकेट इत्यादि सहित निर्धारित समय पर उपस्थित होंगे।

सामान्य (U.R.)	अनु. जाति (S.C.)	अनु. जन जाति (S.T.)	अन्य पिछड़ा वर्ग (O.B.C.)	अति. पिछड़ा वर्ग (M.B.C.)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (इंडियनएस)
93.40 % (जन्म तिथि 15.07.2004)	89.00 % (जन्म तिथि 05.07.2003)	88.20 %	91.80 % (जन्म तिथि 29.03.2004)	91.00 % (जन्म तिथि 05.01.2003)	89.00 % (जन्म तिथि 20.02.2004)

### होरिजेन्टल आरक्षण

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	आशा सहयोगिनी	दिव्यांग (निःशक्तजन) एक पैर (O.L.)	विधवा/ तलाकशुदा
61.38 %	67.00 %	61.60 %	74.60 %

### नोट-

1. काउन्सलिंग हेतु निर्धारित सीटों की संख्या के 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। 2. काउन्सलिंग हेतु पत्र अलग से रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेज दिया गया है। 3. किसी भी तरह का यात्रा भत्ता व्यय का भुगतान नहीं किया जायेगा। 4. यदि काउन्सलिंग पत्र किन्हीं कारणों से प्राप्त नहीं होता है तो उक्त मॉडिट रखने वाले अभ्यर्थी काउन्सलिंग हेतु निम्न तिथि एवं समय पर उपस्थित होंगे। 5. निरस्त किये गये आवेदन पत्रों की सूची कारण सहित इस कार्यालय में देखी जा सकती है।

(डॉ. ओ. पी. मीणा)

DIPR/C/2454/2022

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर



# जयपुर 23-02-2022

## कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर

क्रमांक: एएनएन प्रशिक्षण/2021-22/1867

दिनांक: 21.02.2022

### प्रेस-विज्ञप्ति

श्रीमान् निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के पत्र क्रमांक-प्रशि./मस्वाकार्य/2021-22/99 दिनांक 17.02.2022 के अनुसरण में कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य भवन, त्यागी वाटिका के पास, स्टेशन रोड, बीकानेर में दिनांक 04.03.2022 को प्रातः 09:00 बजे से दोपहर बाद 04:00 बजे तक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण हेतु पात्र अभ्यर्थियों को सत्र 2020-21 के लिए काउंसलिंग का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें कुल रिक्त सीटों के अनुसार जाति वर्गवार 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र भिजवाया गया है। सम्बन्धित अभ्यर्थी काउंसलिंग में निम्न वर्गानुसार योग्यता रखने वाले आवेदनकर्ता मय समस्त मूल प्रमाण-पत्र, अंकतालिका सहित निर्धारित समय पर उपस्थित हों। ओबीसी प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक पुराना ना हो। काउंसलिंग के लिये बुलावा रजिस्टर्ड डाक पत्र द्वारा अलग से भेज दिये गये हैं। बुलावा पत्र नहीं प्राप्त होने पर उक्त मैरिट रखने वाले अभ्यर्थी काउंसलिंग हेतु नियत तिथि को उपस्थित हो सकते हैं। उक्त प्रयोजन के लिये किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

श्रेणी	सामान्य	ओबीसी	एस.सी.	एस.टी.	एम.बी.सी.	ईडब्ल्यूएस	आशा सहयोगिनी	दिव्यांग/ निःशक्तजन	अन्य श्रेणी की विधवा एवं तलाकशुदा	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	मिलिट्री/ पैरामिलिट्री/ पुलिस मृतककर्मियों की विधवा	विभागीय च.श्रे.क.
कट ऑफ अंक (प्रतिशत)	92.60	91.60	89.00	86.60	88.00	87.80	62.92	57.40	83.60	56.67	67.40	80.60
समान अंक की स्थिति में जन्म तिथि तक के अभ्यर्थी	15.2.2004	9.1.2004	24.6.2003	14.10.2003	24.4.2004	2.10.2002	7.10.1994	10.12.1993	25.7.1987	1.7.1995	8.7.2001	21.1.2003

नोट: आशा सहयोगिनी को आशा प्रशिक्षण मॉड्यूल 6 व 7 के चतुर्थ चरण तक प्रशिक्षित कार्यरत होने का प्रमाण पत्र काउन्सलिंग के दौरान प्रस्तुत करने पर ही आरक्षण का लाभ देय होगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
बीकानेर।

डीआईपीआर/सी/2242/2022

फोन नं.: 0151-2226341, 2226344



# जयपुर 23-02-2022

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर (राज.)

क्रमांक/म.स्वा.का.प्रशि/2021-22/2006

दिनांक:- 21.02.2022

## विज्ञप्ति

श्रीमान निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राज. जयपुर पत्रांक:- प्रशि./म.स्वा.कार्य./2021-22/99 दिनांक 17.02.2021 के अनुसरण में जिला बाड़मेर में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण हेतु प्राप्त अभ्यर्थियों को सत्र 2021-22 के लिए काउंसलिंग दिनांक 04.03.2022 को प्रातः 9.30 बजे से मध्याह्न 2.00 बजे तक इस कार्यालय में की जावेगी।

अतः इस काउंसलिंग में निम्न वर्गानुसार कट ऑफ मार्क्स रखने वाले पात्र अभ्यर्थी मय समस्त मूल प्रमाण-पत्र, अंकतालिका सहित समय पर उपस्थित होंगे।

क्र. स.	वर्ग	कटऑफ प्रतिशत
1.	सामान्य वर्ग	91.00
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग	89.20
3.	अनुसूचित जाति	87.00
4.	अनुसूचित जनजाति	86.00
5.	एमबीसी	88.40
6.	ईडब्ल्यूएस	81.80
7.	आ.वा. कार्यकर्ता (05 वर्ष का कार्य अनुभव)	58.62
8.	विधवा/तलाकसुदा	74.86
9.	विकलांग श्रेणी ओएल (एक पैर 40 प्रतिशत)	48.80
10.	आशा सहयोगिनी संवर्ग (प्रशिक्षण मॉड्यूल 6 व 7 के चतुर्थ तक प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र)	64.20

1. साक्षात्कार हेतु निर्धारित सीटों का पांच गुणा अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र अलग से डाक द्वारा भेज दिया है। यदि साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र किन्हीं कारणों से नहीं मिलता है तो उक्त मेरिट में आने वाले अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु नियत तिथि को उपस्थित होंगे। इस हेतु किसी तरह का यात्रा व्यय का भुगतान नहीं किया जायेगा।

2. दिनांक 31.12.2021 को आयु 17 वर्ष से कम (अण्डर पेज) तथा 34 वर्ष से अधिक (ओवर ऐज) एवं मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण नहीं होने वाले अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होंगे। अन्य शर्तें निदेशालय की विज्ञप्ति क्रमांक- प्रशि./म.स्वा.कार्य./2021-22/2021/676 दिनांक 28.09.2021 के अनुसार लागू होगी।

(डॉ. वी.एल. विश्णोई)  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
बाड़मेर



# जयपुर 25-02-2022

**कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर**  
(स्वास्थ्य भवन, आर.बी.एम. हॉस्पिटल परिसर भरतपुर)

Email\_ID cmho.bha.mh@gmail.com, Phone No. 05644-223660

क्रमांक: प्रशिक्षण/म.स्वा.का./2022/1076

दिनांक: 19.02.2022

## प्रेस विज्ञप्ति

श्रीमान निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राज. जयपुर के पत्रांक- प्रशि./म.स्वा.कार्य./2022/100 दिनांक 18.02.2022 की पालना में आरक्षण की श्रेणी वार जिला स्तरीय वरियता के आधार पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र कुम्हेर भरतपुर में प्रवेश हेतु काउंसलिंग दिनांक 04.03.2022 प्रातः 9.00 बजे से मध्याह्न पश्चात 3.00 बजे तक निर्धारित की गई है। जिसमें निम्न श्रेणी/वर्ग के सामने अंकित प्राप्तांक प्रतिशत तक अभ्यर्थियों को अपने मूल दस्तावेज सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के स्वास्थ्य भवन आर. बी.एम अस्पताल परिसर भरतपुर में उपस्थित होंगे।

क्र.सं.	वर्ग	कट ऑफ प्रतिशत
1	अनारक्षित	91.60 (जन्मतिथि 05.04.2004)
2	ओबीसी	90.20 (जन्मतिथि 10.08.2004)
3	एमबीसी	90.00 (जन्मतिथि 10.05.2004)
4	एससी	88.80 (जन्मतिथि 05.08.2003)
5	एसटी	86.00 (जन्मतिथि 18.05.2004)
6	ईडब्लूएस	85.20
7	तलाकशूदा/विधवा	80.00
8	दिव्यांग/निःशक्तजन	59.00
9	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	43.85
10	आशा सहयोगिनी	62.40

नोट:-1. प्रवेश हेतु निर्धारित सीटों की संख्या के पांच गुणा अभ्यर्थियों को उक्त काउंसलिंग में बुलाया गया है।

2. काउंसलिंग हेतु बुलावा पत्र अलग से रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजे गये है। बुलाये गये अभ्यर्थियों की सूची जिला कलेक्टर कार्यालय, संयुक्त निदेशक चिकित्सा कार्यालय, रोजगार कार्यालय, के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाई गई है। यदि किसी कारणवश अभ्यर्थियों को कॉल लेटर प्राप्त नहीं होता है तो समाचार पत्र में प्रकाशित कटऑफ के आधार पर काउंसलिंग में सम्मिलित हो सकते है।

3. काउंसलिंग हेतु अपने मूल दस्तावेजों/आवश्यक प्रमाण पत्रों यथा- शैक्षणिक, जन्मतिथि, जाति प्रमाण पत्र (ओबीसी प्रमाण पत्र एक वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिये) चरित प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र, आशा सहयोगिनियों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल 6 एवं 7 के चतुर्थ चरण तक के प्रमाण पत्र इनके स्वयं द्वारा सत्यापित की छायाप्रति सहित उपस्थित होंगे।

(डॉ. लक्ष्मण सिंह)

DIPR/C/2578/2022

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर





# जयपुर 25-02-2022

राजस्थान सरकार

## कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़

क्रमांक:- प्रशि./2022/194

दिनांक 22.02.2022

### काउन्सलिंग में उपस्थित होने बाबत विज्ञप्ति

श्रीमान निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज. जयपुर के पत्र क्रमांक प्रशि./म.स्वा.कार्य./2021-22/2022/99 दिनांक 17.02.2022 एवं संशोधित आदेश क्रमांक प्रशि./म.स्वा.कार्य./2021-22/2022/100 दिनांक 18.02.2022 के अनुसरण में जिला झालावाड़ में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग पश्चात पात्र अभ्यर्थियों को सत्र 2021-22 में प्रवेश हेतु काउन्सलिंग दिनांक 04.03.2022 को प्रातः 09.30 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक जीतमल जी की धर्मशाला के पीछे, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र, झालावाड़ (स्वास्थ्य भवन परिसर, नया भवन) में की जावेगी। अतः इस काउन्सलिंग में निम्न वर्गानुसार योग्यता रखने वाले आवेदनकर्ता मय समस्त मूल-प्रमाण पत्र, अंकतालिका एवं चरित्र प्रमाण पत्र एवं उनकी सत्यापित छायाप्रति सहित निर्धारित समय पर उपस्थित हों। यदि कोई अभ्यर्थी उक्त दिनांक को नियत समय पर काउन्सलिंग में अपने मूल प्रमाण पत्र/दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाती है तो उसको काउन्सलिंग में सम्मिलित नहीं किया जाएगा :-

वर्ग	कट ऑफ मार्क्स का प्रतिशत	जन्मतिथि
सामान्य	90.60	05.05.2004
ईडब्ल्यूएस	80.80	24.04.2002
अन्य पिछड़ी जाति	88.00	09.08.2002
एमबीसी	86.40	-
अनुसूचित जाति	85.40	06.06.2003
अनुसूचित जनजाति	86.00	
विभागीय चतुर्थ श्रेणी महिला कर्मचारी	कोई आवेदन प्राप्त नहीं	-
अन्य श्रेणी की विधवा एवं तलाक शूदा	64.00	-
विकलांग (निःशक्तजन, एक पैर से)	61.40	-
आगनवाडी कार्यकर्ता	50.15	-
आशा सहयोगिनी	47.60	01.06.1984
मिलिट्री/ पैरामेडिकल/पुलिस मृतक कर्मी की विधवा	कोई आवेदन प्राप्त नहीं	-

नोट:-1.काउन्सलिंग हेतु बुलावा पत्र अलग से रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेज दिया गया है। काउन्सलिंग हेतु बुलावा पत्र किन्हीं कारणों से नहीं मिलने पर उक्त मेरिट रखने वाले अभ्यर्थी काउन्सलिंग हेतु नियत तिथि व समय पर उपस्थित हों। किसी भी तरह का यात्रा व्यय का भुगतान नहीं किया जावेगा।

2. यह प्रवेश का पत्र नहीं है। निर्धारित सीटों की संख्या के 5 गुणा अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। अतः मेरिट के अनुसार ही उपलब्ध सीटों पर प्रवेश दिया जा सकेगा।

3. अल्पायु, अधिक आयु, मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण नहीं होने वाली, अपूर्ण प्रपत्र वाले एवं आगनवाडी कार्यकर्ता पर 5 वर्ष पूर्ण अनुभव नहीं रखने वाली अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र निरस्त किये गये हैं। निरस्त किये गये एवं विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची कभी भी इस कार्यालय में देखी जा सकती है।

4. आशा प्रशिक्षण मॉड्यूल 6 व 7 के चतुर्थ चरण तक प्रशिक्षित, 5 वर्ष कार्यरत एवं निर्धारित योग्यताधारी आशा सहयोगिनियों को ही चयन हेतु पात्र माना जावेगा।

5. ईडब्ल्यूएस/ओबीसी/एमबीसी के अभ्यर्थियों का जाति प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए एवं विकलांग प्रमाण पत्र तीन वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।

(डॉ. मोहम्मद साजिद)

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़



# जोधपुर 19-02-2022

## कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम

मिनी स्वास्थ्य भवन, सेठी कॉलोनी, जयपुर दूरभाष नं. 0141-2605858

ईमेल - cmho1.esttgazz@gmail.com )

क्रमांक: संस्थापन/नर्सिंग/एएनएम काउं./2022/252

दिनांक: 18.02.2022

### काउन्सलिंग में उपस्थित होने बाबत विज्ञप्ति

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर की संक्षिप्त/विस्तृत विज्ञप्ति क्रमांक: प्रशिक्षण/मस्वाका/2021-22/2021/676, 677 एवं 678 दिनांक 28.09.21 एवं पत्र क्रमांक 99 दिनांक 17.02.22 के क्रम में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण सत्र 2021-22 में प्रवेश हेतु प्राप्त आवेदनों की स्क्रीनिंग पश्चात दिनांक 23.02.2022 को आयोजित काउन्सलिंग हेतु कट ऑफ मार्क्स निम्नानुसार है :

वर्ग	कट ऑफ मार्क्स का प्रतिशत	जन्मतिथि
सामान्य	93.80	02.10.2002
ई.डब्ल्यू.एस.	89.20	06.10.2004
अन्य पिछड़ा वर्ग	92.40	15.01.2004
एमबीसी	90.60	10.07.2003
अनुसूचित जाति	90.60	20.04.2004
अनुसूचित जनजाति	89.20	22.10.2001
आंगनवाडी कार्यकर्ता (दिनांक: 01.11.21 तक) न्यूनतम 5 वर्ष का कार्य अनुभव पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी)	58.92	10.04.1992
आशा सहयोगिनी	65.85	12.08.1990
विकलांग (एक पैर से)	54.00	06.03.1995
अन्य श्रेणी विधवा/तलाकशुदा	79.60	12.12.1999
विभागीय महिला कर्मचारी (न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव)	-	-
मिलिट्री /पैरामिलिट्री/पुलिस की विधवा	-	-

उपरोक्तानुसार संबंधित अभ्यर्थी जिन्होंने जयपुर जिले में आवेदन किया है, वे दिनांक: 23.02.2022 को प्रातः 9.00 बजे से 2.00 बजे तक इस कार्यालय के मीटिंग हॉल में काउन्सलिंग हेतु अपने मूल दस्तावेजों/आवश्यक प्रमाण पत्रों यथा- शैक्षणिक, जन्मतिथि, जाति प्रमाण पत्र (ओबीसी/एमबीसी/ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए), चरित्र प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र (3 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये), मूल निवास प्रमाण पत्र एवं आशा सहयोगिनी के लिये अनुभव प्रमाण पत्र, इनकी स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रतियों सहित उपस्थित होंगे। यदि कोई अभ्यर्थी उक्त दिनांक को नियत समय पर काउन्सलिंग में अपने मूल प्रमाण पत्र/दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराती है, तो उसको काउन्सलिंग में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।

नोट:- काउन्सलिंग हेतु बुलावा पत्र अलग से भेजे गये है, लेकिन किसी कारणवश प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इसे ही बुलावा पत्र समझा जावे।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,

जयपुर, प्रथम।

DIPR/C/2304/2022



# जोधपुर 19-02-2022

राजस्थान सरकार

## कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर

क्रमांक: संस्था/म.स्वा.का.प्र./2021-22/2453-54

दिनांक: 18.02.2022

### विज्ञप्ति

श्रीमान् निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर के पत्रांक/प्रशि./म.स्वा.कार्य, /2021-22/99 दिनांक 17.02.2022 के अनुसरण में जिला जैसलमेर में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएनएम) प्रशिक्षण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों अनुरूप सत्र 2021-22 के लिए प्रशिक्षण हेतु चयन बाबत प्रथम काउंसलिंग दिनांक 04.03.2022 को प्रातः 09:30 से दोपहर 2:00 बजे तक मुख्य चिकित्सा एवं स्वा० अधिकारी, कार्यालय, स्वास्थ्य भवन परिसर, डेडानसर रोड़ जैसलमेर में की जायेगी। अतः तदनुसार प्रथम काउंसलिंग में निम्न वर्गानुसार कट ऑफ मॉवर्स रखने वाले पात्र अभ्यर्थी मय अपने समस्त मूल प्रमाण-पत्र, अंकतालिका सहित निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होंगे। काउंसलिंग में उपस्थित होने के लिए अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता अथवा अन्य व्यय देय नहीं होगा। काउंसलिंग हेतु पांच गुणा अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। काउंसलिंग में उपस्थित होने हेतु अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र अलग से रजिस्टर्ड डाक द्वारा भिजवाये जा रहे हैं किन्तु किन्हीं कारणों से बुलावा पत्र नहीं मिलने पर उक्त कट-ऑफ-मॉवर्स रखने वाले पात्र अभ्यर्थी इस सूचना को ही बुलावा पत्र मानते हुए काउंसलिंग हेतु नियत तिथि एवं समय पर उपरोक्तानुसार स्थान पर उपस्थित होंगे।

सामान्य (UnReserved)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	अति पिछड़ा वर्ग (MBC)	अनुसूचित जाति (SC)	अनुसूचित जनजाति (ST)
90.80 ( DOB - 20.08.2002 )	83.40	88.80	88.40	86.00 ( DOB - 08.05.2002 )	86.40

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (AWW)	आशा सहयोगिनी	विधवा/तलाकसुदा (wido/Div.)	मिलिट्री/पैसोमिलिट्री/ पुलिसकर्मी विधवा (Wido)	विकलांग (PH)
54.31	63.08	75.80	64.20	39.54

नोट:- आशा सहयोगिनी को आशा प्रशिक्षण मॉड्यूल 6 व 7 के चतुर्थ तक प्रशिक्षित कार्यरत होने का प्रमाण पत्र काउंसलिंग के दौरान प्रस्तुत करना होगा।

(डॉ. कुणाल साहु)  
मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी,  
जैसलमेर



# जयपुर 19-02-2022

## कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम

मिनी स्वास्थ्य भवन, सेठी कॉलोनी, जयपुर दूरभाष नं. 0141-2605858

ईमेल - cmho1.esttgazz@gmail.com)

क्रमांक: संस्थापन/नर्सिंग/एएनएम काउं./2022/252

दिनांक: 18.02.2022

### काउन्सलिंग में उपस्थित होने बाबत विज्ञप्ति

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर की संक्षिप्त/विस्तृत विज्ञप्ति क्रमांक: प्रशिक्षण/मस्वाका/2021-22/2021/676, 677 एवं 678 दिनांक 28.09.21 एवं पत्र क्रमांक 99 दिनांक 17.02.22 के क्रम में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण सत्र 2021-22 में प्रवेश हेतु प्राप्त आवेदनों की स्क्रीनिंग पश्चात दिनांक 23.02.2022 को आयोजित काउन्सलिंग हेतु कट ऑफ मार्क्स निम्नानुसार है :

वर्ग	कट ऑफ मार्क्स का प्रतिशत	जन्मतिथि
सामान्य	93.80	02.10.2002
ई.डब्ल्यू.एस.	89.20	06.10.2004
अन्य पिछड़ा वर्ग	92.40	15.01.2004
एमबीसी	90.60	10.07.2003
अनुसूचित जाति	90.60	20.04.2004
अनुसूचित जनजाति	89.20	22.10.2001
आंगनवाडी कार्यकर्ता (दिनांक: 01.11.21 तक) न्यूनतम 5 वर्ष का कार्य अनुभव पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी)	58.92	10.04.1992
आशा सहयोगिनी	65.85	12.08.1990
विकलांग (एक पैर से)	54.00	06.03.1995
अन्य श्रेणी विधवा/तलाकशुदा	79.60	12.12.1999
विभागीय महिला कर्मचारी (न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव)	-	-
मिलेटी /पैरामिलेटी/पुलिस की विधवा	-	-

उपरोक्तानुसार संबंधित अभ्यर्थी जिन्होंने जयपुर जिले में आवेदन किया है, वे दिनांक: 23.02.2022 को प्रातः 9.00 बजे से 2.00 बजे तक इस कार्यालय के मीटिंग हॉल में काउन्सलिंग हेतु अपने मूल दस्तावेजों/आवश्यक प्रमाण पत्रों यथा- शैक्षणिक, जन्मतिथि, जाति प्रमाण पत्र (ओबीसी/एमबीसी/ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए), चरित्र प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र (3 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये), मूल निवास प्रमाण पत्र एवं आशा सहयोगिनी के लिये अनुभव प्रमाण पत्र, इनकी स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रतियों सहित उपस्थित होंगे। यदि कोई अभ्यर्थी उक्त दिनांक को नियत समय पर काउन्सलिंग में अपने मूल प्रमाण पत्र/दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराती है, तो उसको काउन्सलिंग में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।

नोट:- काउन्सलिंग हेतु बुलावा पत्र अलग से भेजे गये है, लेकिन किसी कारणवश प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इसे ही बुलावा पत्र समझा जावे।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
जयपुर, प्रथम।

DIPR/C/2304/2022